बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र04 ख0वि0अधि0–01/2014 4492 खाद्य, पटना/दिनांक– 09/06/2015

प्रेषक,

पंकज कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
सहकारिता विभाग,
बिहार, पटना।
प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि0,
सोन भवन, पटना।

विषय :– खरीफ विपणन मौसम 2014–15 अंतर्गत दिनांक 31.03.2015 तक किसानों से पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा क्रय किये गये अवशेष अधिप्राप्ति धान के संबंध में।

प्रसंग :– प्रबंध निदेशक, राज्य खाद्य निगम का पत्रांक– 5937, दिनांक 26.05.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि धान अधिप्राप्ति के संबंध में प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम के पत्रांक 5937 दिनांक 26.05.2015 द्वारा 31.03.2015 तक पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा किये गये अवशेष अधिप्राप्ति धान के संबंध में प्रतिवेदित किया गया है, जिसके अनुसार 508614 लाख मे0टन अवशेष अधिप्राप्ति धान की मात्रा प्रतिवेदित की गयी है। इस संबंध में जिलों के साथ समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि वरीय पदाधिकारी का दल गठित कर पैक्सों के पास उपलब्ध सभी धान का भौतिक सत्यापन कराया जाय। जिला पदाधिकारियों ने अंतिम रूप से धान जॉच कर प्रतिवेदित किया, उसमें से कई जिलों का प्रतिवेदन विश्वसनीय नही है। अतः सैम्पल जॉच के रूप में राज्य मुख्यालय से टीम भेजी गयी। पूर्वी चम्पारण में जॉच में धान अधिप्राप्ति की जितनी मात्रा प्रतिवेदित की गयी थी, भौतिक सत्यापन में उसकी मात्रा कम मिली एवं धान की गुणवत्ता खराब पायी गयी। औरंगाबाद जिला में भी पैक्सों द्वारा किसी मिल में रखे गए धान को किसानों से लिया गया धान बताया गया।

अतः जिन जिलों में धान अधिप्राप्ति का गलत आंकड़ा दिया गया है उनके लिए दोषी पदाधिकारियों/व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। ऐसे पदाधिकारियों/व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरूद्ध फौजदारी मुकदमा एवं विभागीय कार्रवाई या दोनों कार्रवाई अविलंब प्रारम्भ की जाय।

2. विभागीय पत्र संख्या 8785 दिनांक 19.11.2014 द्वारा विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति के व्यवस्था के माध्यम से खरीफ विपणन मौसम 2014–15 अंतर्गत धान/चावल की अधिप्राप्ति कार्यक्रम हेतु कार्य योजना एवं मार्ग निर्देश निर्गत हैं। इसके

9/6/15

अनुसार उक्त वर्ष में राज्य में धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 30 लाख मे0टन रखा गया है, जिसमें से पैक्स/व्यापार मंडल का लक्ष्य 24.00 लाख मे0 टन है। पैक्स/व्यापार मंडल के द्वारा अधिप्राप्ति किये धान के विरूद्ध सी0एम0आर0 प्राप्ति का लक्ष्य 4 लाख मे0टन है। बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के द्वारा दिनांक 26.05.2015 को समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा निगम में जमा धान की मात्रा 1478680 मे0टन तथा प्राप्त सी0एम0आर0 की मात्रा 84614 मे0टन प्रतिवेदित की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि प्राप्त लक्ष्य के विरूद्ध काफी कम मात्रा में पैक्सों द्वारा सी0एम0आर0 के रूप में उपलब्ध करायी गयी है। अतः पैक्स/व्यापार मंडल से अधिकाधिक मात्रा सी0एम0आर0 के रूप में उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई 30 जून तक पूरी कर लेना सुनिश्चित की जाय। इसमें राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा। चूँकि वर्षा ऋतु आने की संभावना है। अतः ये सी0एम0आर0 के उपलब्ध कराने की कार्रवाई 30 जून तक अनिवार्य रूप से पूरी कर ली जाय।

अनु0—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

9/6/2015

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः— प्र04 ख0वि0अधि0—01/2014 4492 खाद्य, पटना/दिनांक— 09/06/2015

प्रतिलिपिः— सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/6/2015

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः— प्र04 ख0वि0अधि0—01/2014 4492 खाद्य, पटना/दिनांक— 09/06/2015

प्रतिलिपिः— मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

9/6/2015

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः— प्र04 ख0वि0अधि0—01/2014 4492 खाद्य, पटना/दिनांक— 09/06/2015

प्रतिलिपिः— माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

9/6/2015

सरकार के सचिव।

D:\Section 10\2013\Sec_4\vividh_2.doc